न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु.

संतरा बनाम सुरमा

किस्म मुकद्दमा 425 TA मु. नं. 421/2017 वर्ष

दिनांक	आज्ञा-पत्र
8/5/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली से संबंधित मूल वाद अभिलेख/सहमति/राजीनामा के आधार पर अधिक जिरह किया जाना निष्प्रयोजन किया जाता है अतः हस्तगत पत्रावली को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली को भी स्वयं पर खारिज किये जाने के कारण निर्णय किये जाते हैं। पत्रावली नियम प्रति नियम का तकमील तामिल हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)